"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 अगस्त 2010—श्रावण 21, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-15/18/09.— विभाग की अधिसूचना दिनांक 15-01-2010 के द्वारा नगर पालिका परिषद् बीरगांव जिला रायपुर में परिषद् के स्थान पर गठित समिति को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03-08-2010 के द्वारा निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा परिषद् के आगामी निर्वाचन होने तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर, जिला रायपुर को नगर पालिका परिषद्, बीरगांव का प्रशासक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 1-15/18/09.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-15/18/2009, दिनांक 11-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 11th August 2010

NOTIFICATION

No. F-1-15/18/2009.— By the decision dated 03-08-2010 Hon'ble High Court has quashed the Notification of the department dated 15-01-2010 by which a committee was constituted instead of council in Municipal Council Birgaon. Therefore, State Government hereby appoints Sub Divisional Officer (Revenue) Raipur, as Administrator for Municipal Council Birgaon till the next elections are held.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAWAHAR SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित.-2010.